निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 10/2025
दायरा दिनांकः–30.01.2025
निर्णय दिनांकः– 30.5.25

उनवान

1. कृष्णा बाई आयु 70 वर्ष पुत्री नारायण पत्नि भगवान सिंह जाति सांसी निवासी ग्राम खातोली तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल निवासी मीराकाबाद जिला अशोक नगर मध्यप्रदेश

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 30.5.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री अब्दुल हसीब आलम – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 14 की भूमि खसरा संख्या 152 रकबा 1.6567 हैक्टेयर, खसरा संख्या 153 रकबा 2.7443 हैक्टेयर कुल 02 किता कुल रकबा 4.4010 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा जिला बारां (राज.) मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/5 है, जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है। जिसकी वर्तमान जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत् कई वर्षो से काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से कृष्णा बाई के स्थान पर मुन्नीबाई दर्ज हो गया है। जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम कृष्णा बाई है, जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर मुन्नीबाई के स्थान पर कृष्णा बाई किया जाना अति आवश्यक है। जो अत्यन्त न्यायोचित व आवश्यक है। सभी सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशनकार्ड आदि मे प्रार्थीया का नाम कृष्णा बाई दर्ज है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम मुन्नीबाई दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ का लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड रहा है। प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 मे वर्णित अपने हिस्से की भूमि पर किसान क्रेडिड कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवेल लगवाकर, तारफँसिग, कर भूमि समतल करवाकर प्रगतिशील काश्त करना चाहती है, परन्तु जो प्रार्थीया के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

स्व रिकार्ड मे नाम दुरूस्तीकरण के बिना संभव नही है। प्रार्थीया दिनांक /08/2025 को किसान क्रेडिड कार्ड बनवाने के लिये ऑन लाईन नकल जमाबंदी निकालने व हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गई तो उसे हल्का पटवारी ने राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्यं सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 14 फोटो प्रति आधार कार्ड फोटो प्रति पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम खातोली तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का 1/5 हिस्सा दर्ज है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में सहवन से कृष्णा बाई के स्थान पर मुन्नी बाई दर्ज हो गया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम कृष्णा बाई है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में सही नाम कृष्णा बाई दर्ज है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड में मुन्नी बाई के स्थान पर कृष्णा बाई दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में मुन्नी बाई के स्थान पर कृष्णा बाई दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में तहसीलदार छबडा ने बताया कि ग्राम वासियान के अनुसार कृष्णा बाई का विवाह मीराकाबाद मध्यप्रदेश में किया है वादी के समस्त दस्तावेजात राशन कार्ड आधार कार्ड में कृष्णा बाई दर्ज है। एवं ग्राम खातोली के राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 152,153 में मुन्नी बाई पुत्री नारायण नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर उपस्थित लोगो ने बताया कि कृष्णा बाई का बोलता नाम मुन्नी बाई है। बचपन में मुन्नी बाई के नाम से ही जाना जाता है मुन्नी बाई व कृष्णा बाई दोनो ही नाम कृष्णा बाई के है। अन्य कोई भी इस नाम की महिला मौजुद नही है। राजस्व रिकार्ड में मुन्नी बाई के स्थान पर कृष्णा बाई दुरूस्त किया जाना उचित होना बताया है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खातोली सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 14 में सह खातेदार मुन्नी बाई पुत्री नारायण हिस्सा 1/5 दर्ज है आधार कार्ड, पहचान पत्र, खाद्य सुरक्षा कार्ड में कृष्णा बाई दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का सही नाम कृष्णा बाई है तहसीलदार छबडा ने भी अपनी रिपोर्ट में मुन्नी बाई का सही नाम कृष्णा बाई बताया है तथा इस नाम की महिला गांव में अन्य कोई महिला नही होना बताया मुन्नी बाई व कृष्णा बाई दोनो नामों से जानी जाती है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाकें ग्राम खातोली खाता संख्या 14 के खसरा नम्बर 152 रकबा 1.6567 है0 खसरा नम्बर 153 रकबा 2.7443 है0 में प्रार्थीया का नाम मुन्नी बाई के स्थान पर कृष्णा बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा